SST No. 153/2017
State Vs Virendra Kumar Ors
U/s 323/34, 356, 504 & 506 I.P.C. &
3(1)(10) sc/st Act

UPPB010010422017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 153/2017

राज्य.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. वीरेन्द्र कुमार गंगवार पुत्र चंद्रसेन,
2. सोमपाल पुत्र हरपाल
3. हरपाल पुत्र पूरनलाल,
4. अशोक पुत्र पूरनलाल

निवासीगण ग्राम इग्घरा थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत।

अं0धारा–323/34 356, 506 व 504 भा0दं0सं0 व
धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी एक्ट,
थाना–बरखेड़ा, जिला पीलीभीत।

निर्णय

(1) इस विशेष सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल व अशोक कुमार का धारा 323/34, 356, 504 व 506 भा.द.सं. व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी एक्ट के अंतर्गत आरोपित अपराध हेतु विचारण किया गया है।

(2) संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी द्वारा एक परिवाद पत्र (प्रदर्श क–1) संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष इस आशय का संस्थित किया गया किया कि दिनांक 12.05.2014 को समय करीब 7 बजे शाम वह अपनी भैंस चराकर ला रहा था, तो तभी रास्ते में अचानक आंधी आ गयी, जिससे भैंस भटक गयी और वीरेन्द्र कुमार गंगवार पुत्र चंद्रसेन के चरी के खेत में से निकलती चली गयी। वीरेन्द्र कुमार गंगवार खेत पर मौजूद था और उसको मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देते हुए लातघूसों से मारने पीटने लगा। वह बमुश्किल छूटकर भागा और कहा कि कार्यवाही करूगा, तभी उपरोक्त वीरेन्द्र कुमार गंगवार बोला कि घर चल तुझे साले धुबेटा बताता हूँ। वह अपनी भैंस लेकर अपने घर आ रहा था, तभी घर के सामने आम रास्ते में गांव के वीरेन्द्र कुमार गंगवार पुत्र चंद्रसेन, सोमपाल पुत्र हरपाल, हरपाल व अशोक कुमार पुत्रगण पूरनलाल सभी लोग एक राय होकर लाठी डंडा व बंका लेकर आये और उसको मां बहिन की गंदी गंदी गालियां व जातिसूचक अपशब्द धुबेटा कहते हुए लातघूसों व लाठी डंडा से मारने पीटने लगे। उसके शोर पर बचाने आयी उसकी पुत्री रानी

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.06.22 16:30:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को अपनी ससुराल से एक दिन पहले ही आयी थी। हीरालाल पुत्र गिरधारी लाल व अन्य बहुत से लोग आ गये। मारते वक्त उसकी पुत्री के उसके उपर गिर गयी, उसे भी उपरोक्त सभी लोगों ने मारापीटा व पहने हुए कपड़ों आदि को फाड़ दिया और छेड़छाड़ व अश्लील हरकतते की तथा कान से एक तोला सोने की झुमकी को उपरोक्त लोग नोच कर लूट ले गये। वह अपने घर के अंदर घुस आया, तो पीछे से घर में घुसकर पुनः मारापीटा व घर में रखा सामान तोड़ व इधर उधर फेंक दिया, जाते समय उसको उपरोक्त लोग गंदी गंदी गालियां व जातिसूचक शब्दों से धुबेटा कहते हुए कह रहे थे कि साले धुबेटा अगर थाने में रिपोर्ट लिखायी, तो तेरी लड़की को खींच ले जायेंगे। हम गंगवार लोगों की पहुंच बहुत उंची है।

(3) परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं. 1 पीलीभीत द्वारा अभियोग पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में थाना बरखेडा की पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.07.2014 समय 17:30 बजे, अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार, सोमपाल, हरपाल व अशोक कुमार के विरूद्ध अंतर्गत धारा 452, 323, 504, 356 भा.द.सं. व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत प्रथमदृष्टया संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा किसी जुर्म का होने न पाते हुए अंतिम रिपोर्ट संख्या 24/2014 प्रेषित की गयी। परिवादी द्वारा उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 05.02.2015 को स्वीकार कर अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए मामला परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद पर जांच सम्पादित की गयी तथा परिवादी के बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 दर्ज किया गया, जिसके उपरांत यह पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश संख्या 40/17 दिनांकित 04.02.2017 के अनुपालन न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत से अंतरित होकर इस न्यायालय को विचारणार्थ हेतु दिनांक 09.03.2017 को प्राप्त हुई। इस न्यायालय द्वारा साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 202 द.प्र.सं. अंकित किये गये। परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. व साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनना पाते हुए इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल व अशोक कुमार को भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत धारा 323, 356, 504 व 506 धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में विचारण हेतु आहूत किया गया।

(4) अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल व अशोक कुमार के विरूद्ध मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2018 को अंतर्गत धारा 323/34, 356, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपित आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की याचना की गयी।

(5) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 रामसरन व पी.डब्लू. 2 सरोजनी देवी को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क्र. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1	पी.डब्लू. 1	रामसरन	प्रदर्श क–1	प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.स.

2	पी.डब्लू. 2	सरोजनी देवी	–	–

(7) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों अंतिम रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, शपथपत्र, घटनास्थल नक्शानजरी व कायमी जी.डी. 28 की प्रमाणिकता की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार की गयी है तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी।

(8) अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षीगण के बयानों के संबंध में कहा कि कुछ नहीं कहना है तथा यह भी कथन किया है कि वे निर्दोष है, उनको झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(9) अभियोजन की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू. 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा साक्षी पी.डब्लू. 2 द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण वह पक्षद्रोही घोषित हो गया है परन्तु मात्र इस कारण से साक्षीगण के साक्ष्य को पूर्णरूप से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, अपितु साक्षीगण के साक्ष्य का वह अंश जो अभियोजन कथानक को संबल प्रदान करता है, साक्ष्य में पूर्णरूप से ग्राह्य है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षीगण के परिसाक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन कथानक पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(10) बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्कों का खंडन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। समस्त साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(11) मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

(12) अभियुक्तगण पर धारा 323/34, 356, 504 व 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट अपराध के विषयक लगाये आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी रामसरन व उसकी पुत्री को लाठी डंडों से मारपीट करके स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, उसकी पुत्री के कान से झुमकी चुराकर आपराधिक बल का प्रयोग करने, साशय अपमानित करने के आशय से गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है।

(13) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 1 रामसरन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि''घटना आज से करीब दस वर्ष पुरानी है। मैं अपनी भैंस चरा कर ला रहा था। अचानक आंधी आने से भैंस भटक कर वीरेन्द्र के खेत में चली गयी, इसी बात पर नाराज होकर वीरेन्द्र गंगवार, सोमपाल, हरपाल व अशोक कुमार ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरी बेटी रानी मुझे बचाने आयी। उसकी सोने की झुमकी छीन ली, गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आसपास के लोगों ने आकर बचाया। थाने पर कोई सुनवाई न होने पर मैंने अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। पत्रावली में संलग्न मूल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)सी.आर.पी.सी. को देखकर गवाह ने उस

पर अपने हस्ताक्षर की तस्दीक की। इस आधार पर प्रार्थना पत्र पर प्रदर्श क–1 डाला गया। विवेचक का आदेश होने के बाद भी पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हू, इसलिए घटना की तारीख व समय ठीक ठीक नहीं बता सकता। तहरीर मैंने टाइप करायी, मुझे याद नहीं है कि टाइप करने वाले ने मुझे पढकर सुनाई नहीं थी। यह बात सही है कि वीरेन्द्र के खेत में भैंस घुस जाने के कारण हमारी मामूली कहासुनी हुई थी। भैंस को पकड़ने के दौरान ही मेरी बेटी का कान का झुमका गिर गया था। वीरेन्द्र कुमार गंगवार, हरपाल, सोमपाल व अशोक कुमार ने किसी ने भी न तो मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट करते हुए न ही कभी जान से मारने की धमकी दी, न ही मेरी बेटी रानी के सोने के झुमके जबरन छीने। मैंने गांव वालों के बहकावे में आकर रिपोर्ट लिखा दी थी। मुझे मुल्जिमान से कोई शिकायत नहीं है।'' अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि एक ही गांव के होने के कारण या किसी डर, दबाव या लालच में अदालत में झूठ बोल रहा हूॅ। गवाह ने धारा 161 सी.आर.पी.सी. से इंकार कियां।''

(14) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले का वादी मुकदमा है, जिसके द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि उसकी भैंस वीरेन्द्र के खेत में घुस जाने के कारण उनकी मामूली कहासुनी हो गयी थी। भैंस को पकड़ने के दौरान ही उसकी बेटी का कान का झुमका गिर गया था। वीरेन्द्र कुमार गंगवार, हरपाल, सोमपाल व अशोक कुमार में से किसी ने भी न तो उसके साथ गाली गलौज मारपीट करते हुए, न ही कभी जान से मारने की धमकी दी, न ही उसकी बेटी रानी के सोने की झुमकी जबरन छीनी। उसने गांव वालों के बहकावे में आकर रिपोर्ट लिखा दी थी। अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने धारा 161 द. प्र.सं. का बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किया गया है। इस प्रकार स्वयं वादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में न्यायालय के समक्ष पूर्व में दिये गये बयानों से इतर व विपरीत कथन किये गये है, जिस कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

(15) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 2 सरोजनी देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''घटना हुये कई वर्ष हो गये हैं, सायं 7.00 बजे का समय था, मेरे पति भैंस चराकर वापस आ रहे थे। रास्ते में भैंस वीरेन्द्र के चरी के खेत में चली गयी, इसी बात को लेकर मेरे पति राम सरन से वीरेन्द्र कुमार की कहासुनी होने लगी, जिससे मौके पर गांव के बहुत सारे लोग इकठ्ठा हो गये। मैं मौके पर नहीं थी। मेरे पति घर आ गये थे, उनके मिलने के लिए और भी बहुत सारे लोग घर पर आने लगे। उसी भीड़ में मेरी पुत्री रानी का झुमका कहीं गिर गया। वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल और अशोक कुमार ने मेरे पति को मारापीटा नहीं था न ही गालियां और जान से मारने की धमकी दी थी और न ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया था। मेरी बेटी का झुमका भीड़ होने के कारण कही गिर गया था। अभियुक्तगण ने उसे चुराया नहीं था।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि भीड़ होने के कारण मैं देख और सुन नहीं पायी थी कि मेरे पति को किसने मारा था, तथा किसने जान से मारने की धमकी व जाति सूचक गालियां दीं थीं। यह कहना सही है कि मैं अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल और अशोक कुमार को जानती हूॅ, यह कहना भी सही है कि वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल और अशोक कुमार मेरे ही गांव के हैं लेकिन यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण को जानने पहचानने के कारण मैं मा. न्यायालय को सही बात नहीं बता रही हूॅ। यह कहना भी गलत है कि मैं भय, लालच, डर, या दबाब में वयान दे रही हूॅ।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल और अशोक कुमार ने मेरे पति के साथ कोई घटना

कारित नहीं की थी। मैंने घटना कारित करते हुये किसी को नहीं देखा था। मेरी बेटी के झुमके भीड़ में कहीं गुम हो गयी थी। उसको वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल और अशोक कुमार ने नोचकर छीना नहीं था।''

(16) इस प्रकार यह साक्षी वादी मुकदमा की पत्नी है। इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में कथित घटना के समय भीड़ होने के कारण वह देख और सुन नहीं पायी कि उसके पति रामसरन को किसने मारा, किसने जातिसूचक गालियां दी व किसने जान से मारने की धमकी दी। उसकी बेटी का झुमका भीड़ होने के कारण कहीं गिर गया था। अभियुक्तगण ने उसे चुराया नहीं था। अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने धारा 161 द.प्र.सं. का बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किया गया है। इस साक्षी ने बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि अभियुक्तगण ने उसके पति के साथ कोई घटना कारित नहीं की थी। उसने घटना कारित करते हुए किसी को नहीं देखा था। उसकी बेटी के झुमके भीड़ में कहीं गुम हो गये थी। उसको अभियुक्तगण ने नोच कर छीना नहीं था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा भी अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है।

(17) उपरोक्त साक्षीगण द्वारा अपने–अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसकी पुत्री के साथ लाठी डंडो से मारपीट किये जाने, उसकी पुत्री की सोने की झुमकी चुराने, गंदी गंदी गालियां दिये जाने, जान से मारने की धमकी देने तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने के तथ्य को नकारा गया है। उपरोक्त साक्षीगण की प्रतिपृच्छा मे भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नही आया है जिससे अभियोजन कथानक को किसी प्रकार का समर्थन मिलता हो। अभियोजन की ओर अपने अभियोजन कथानक के समर्थन में वादी मुकदमा की पुत्री रानी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जबकि इस साक्षी का बयान पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 202 द.प्र.सं. में अंकित कराया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से मात्र पी.डब्लू. 1 वादी व पी.डब्लू. 2 वादी मुकदमा की पत्नी को परीक्षित कराया गया है, जिनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है, अन्य किसी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। इस स्तर पर पत्रावली में कोई भी विश्वसनीय दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम का अपराध कारित करने एवं कथित घटना कारित किये जाने के संबंध में उपलब्ध नहीं है।

(18) जहां तक अभियोजन प्रपत्रों ंतिम रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, शपथपत्र, घटनास्थल नक्शानजरी व कायमी जी.डी. 28 का प्रश्न है। उक्त प्रपत्रों की प्रमाणिकता की सत्यता अभियुक्तगण की ओर से औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गयी है। निसन्देह अभिलेखीय साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है परंतु अभिलेखीय साक्ष्य उसी स्थिति में महत्वपूर्ण है जबकि उसकी पुष्टि मौखिक साक्ष्य द्वारा की गयी हो। वर्तमान मामले में अभिलेखीय साक्ष्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर जब तक कि उक्त अभिलखों की पुष्टि हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(19) इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिग्म्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ (2019) 2 एस०एस०सी०–क्रि०–300** में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> आपराधिक विचारण के मामले में यह आधारभूत सिद्धांत है कि आपराधिक मामले को साबित करने का भार सदैव ही अभियोजन पर रहता है तथा ये सामान्यतः कभी भी परिवर्तित नही होता है। किसी भी व्यक्ति को अनुमान और शंकाओं

> अथवा संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, के आधार पर दोषसिद्ध नही किया जा सकता। सशक्त शंका, संयोग एवं गंभीर संदेह कभी भी वैध सबूत का स्थान नही ले सकते हैं।

तथा **परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आई.आर. 2011 पेज नं. 200** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

> आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला सन्देह से परे साबित किया जाना आवश्यक है यदि अभियोजन अपने दायित्व में विफल होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो सकेगा।

(20) उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल व अशोक कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34, 356, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल व अशोक कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 323 सपठित धारा 34, 356, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 153/2017 में अभियुक्तगण वीरेन्द्र कुमार गंगवार, सोमपाल, हरपाल व अशोक कुमार को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323 सपठित धारा 34, 356, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं। उसके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्तगण प्रत्येक धारा 437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

दिनांकः 22.06.2026

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

दिनांकः 22.06.2026